विचार बिन्दु

मनुष्य अपना स्वामी नहीं, परिस्थितियों का दास है। –भगवतीचरण वर्मा

क्या आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा को लाँघ सकता है? क्या संविधान पीठ का एक निर्णय विषय को अन्तिम मानने के लिये पर्याप्त नहीं है?

आरक्षण की समस्या का लम्बा इतिहास है। आरक्षण का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में सबसे पिछडे वर्ग के लोगों को भी विकास का लाभ मिल सके। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जावें तो पायेंगे कि विलियम हन्टर व ज्योतिराव फूले ने 1883 में मूल रूप से जाति आधारित आरक्षण की प्रणाली 142 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की थी। सन् 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की घोषणा कर राजनीति में एक बवंडर ला दिया। इस विषय पर विचार करने व अपनी अनुशंसा देने को मण्डल आयोग का गठन किया गया। मण्डल आयोग ने अपनी सिफारिशों का आधार 1971 की जनगणना और जाति आधारित पिछडेपन को अपनाया। मण्डल आयोग ने इस क्रिया में आर्थिक पिछडे़पन की बात छोड़ दी और उन धर्मों को भी अलग कर दिया जिनमें जाति व्यवस्था नहीं है।

आरक्षण के बाबत इन्द्रा साहनी का केस एक ऐतिहासिक निर्णय है। माननीय न्यायालय की संविधान पीठ ने बहुमत से घोषित किया और माना कि धर्म निरपेक्ष समाज में पिछड़ेपन का आधार जाति को बनाया जाना उचित है। जाति के आधार पर पिछड़ेपन की पहिचान की जा सकती है। संविधान के भाग 16 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाततियों के लिये लोकसभा व विधान सभाओं के लिये स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था केवल 10 वर्षों के लिये ही रखी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 334 में यह आदेशात्मक निर्देश था कि यह व्यवस्था 10 वर्ष बाद प्रभावी नहीं रहेगी। यह प्रावधान संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का भाग था; किन्तु दुर्भाग्य था कि इसे 79वें संविधान संशोधन से संशोधित कर दिया। इसकी वैधानिकता का प्रश्न गत 25 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में पेन्डिंग है।

आरक्षण के बाबत सर्वोच्च न्यायालय ने इन्द्रा साहनी व अन्य केसेज में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं वे निम्नलिखित हैं:–

1– अनुच्छेद 16(4) के अनुसार पिछडे.वर्ग के लोगों को आरक्षण केवल मात्र सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ही दिये हैं, न कि आर्थिक आधार पर। यानी जब तक अनुच्छेद 16(4) में व अनुच्छेद 1(5) में संवैधानिक संशोधन नहीं होता आर्थिक आधार की श्रेणी में आरक्षण दिया जाना सम्भव नहीं है।

2– जो पिछड़ा वर्ग समय के साथ पिछड़ा नहीं रहा है, जिसे सर्वोच्च न्यायलय ने क्रिमिलेयर कहा है उसे अनुसूचित जाति व जनजाति से अलग किया जावे। वह देश की मूल धारा में माना जावेगा; किन्तु जिनका पिछड़ापन अभी शेष है उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा।

3– संविधान की 9वीं सूची में रखने मात्र से कोई अधिनियम वैध नहीं होगा, यदि उसकी वैधानिकता संविधान के आधारभूत सिद्धान्त, मूल अधिकारों के विरूद्ध होने से चुनौती दी जा सकती है।

यहां यह लिखना समीचीन होगा कि 50 प्रतिशत के आरक्षण का सिद्धान्त मूल रूप से माना जावेगा; किन्तु असामान्य स्थिति में अपवाद हो सकता है जैसे किसी दूर दराज क्षेत्र में रहने वाला विशिष्ट व्यक्ति मूल धारा से अलग पिछड़ेपन में जी रहा है। इस बाबत सावधानी की आवश्यकता है। बालाजी के केस में 60 प्रतिशत आरक्षण को अवैध माना गया है। छतारा संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 73 प्रतिशत को अवैध माना है।

तमिलनाडू के केस में 69 प्रतिशत आरक्षण था। उसे वैध करने के हेतु 9वीं सूची में डाला गया था। एम नागराज के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: यह स्पष्ट कर दिया कि 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण वैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कर दिया कि संवैधानिक बेसिक स्ट्रक्चर के विरूद्ध होने पर 9वीं सूची में डालने पर भी कानून वैध नहीं होगा। राजस्थान में आरक्षण 2008 के अधिनियम से 68 प्रतिशत किया गया था, वह वैध नहीं था। उसे 9वीं सूची में भी नहीं डाला गया। यह भी सही था कि आर्थिक स्तर पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। गुजरात में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिये जाने पर पुन: बहस जोर पकड़ने लगी। यह आरक्षण वैधानिक नहीं था।

वोटों के लिये आरक्षण की मांग उठने लगी। हरियाणा की मांग 10 प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग जाटों का आरक्षण की थी। गुजरात में 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक आधार पर मांगा गया। राजस्थान में 5 प्रतिशत आरक्षण गुर्जर सहित 8 अन्य जातियों को व 14 प्रतिशत आर्थिक आधार पर चाहा गया। यह आवाज उठने लगी कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। लोग मांग को लेकर तोडफोड पर, दंगा करने पर सड़कों पर आ गये।

कुछ दिनों पूर्व ही बिहार विधानसभा ने कानून पारित किया कि 65 प्रतिशत आरक्षण बिहार के लोगों को जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व Other Backward Classes (OBC) से हैं, पब्लिक एम्प्लायमेंट व शिक्षण संस्थानों के एडमिशन में होना चाहिये; किन्तु पटना हाईकोर्ट ने ऐसा आरक्षण देने से मना कर दिया और निश्चित सिद्धान्त को दोहराया कि 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण कानून वैध नहीं है। यह समानता के सिद्धान्त के विरूद्ध है। बिहार सरकार का 85 प्रतिशत का आरक्षण Caste Survey Report, 2023 पर आधारित था। यह आरक्षण Proportionate Representation के सिद्धान्त पर आधारित था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बिहार की 85 प्रतिशत आबादी एससी, एसटी, ओबीसी की आंकी गई थी। बिहार राज्य में 65 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की बात उठी, चूंकि यह 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक था अत: हाईकोर्ट में चुनौती देने पर इस आरक्षण को वैध नहीं माना गया। पटना हाईकोर्ट ने बालाजी व इन्द्रा साहनी के केस का आलम्बन लिया। इस केस का Special Circumstance का केस भी नहीं माना गया। इन्द्रा साहनी के 9 जजों की पीठ ने यह स्पष्ट करार दिया है कि 50 प्रतिशत से अधिक की Ceiling Limit को संविधान के अनुच्छेद 16(1) व 16(4) की परिस्थितियों के आधार पर ही तय करना होगा। के कृष्णा मूर्ति बनाम भारत संघ के केस में यह और भी स्पष्ट कर दिया कि Ceiling Limit का उल्लंघन करने के लिये जो मापदण्ड हैं उन्हें बेकवर्ड क्लासेज के लोग के हेतु लोकल बॉडीज् जो जनरल एरिया में है, आँका नहीं जा सकता। बिहार राज्य की सरकार ने एम नागराज के केस का आलम्बन लिया किन्तु हाईकोर्ट ने उसे नहीं माना क्योंकि कोर्ट ने यह माना कि Quantifiable Data उपलब्ध होने मात्र से Ceiling Limit को क्रोस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह कारण Exceptional Circumstance की परिभाषा में भी नहीं आते। माननीय पटना हाईकोर्ट ने राकेश कुमार व चेबोलू लीली प्रसाद राव के केसों के निर्णयों का भी परीक्षण किया और यह कहा कि ये केस dsl Local Self Governance Institution के बाबत जहां आरक्षण पंचायतों के लिये हैं वहां लागू नहीं होते और अनुच्छेद 15(4) व 16(4) के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता।

> **आरक्षण सामाजिक न्याय के लिये है। यह माना जाता है कि धर्म आधारित आरक्षण मान्य नहीं है। संविधान के प्रियम्बल में भारत के लोगों ने भारत के ही लोगों को वचन दिया कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा। इनमें सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई।**

पटना हाईकोर्ट ने माना कि केस जनहित अभियान बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार यह स्वीकार किया कि Economically Weaker Sections (EWS) का आरक्षण जो आर्थिक कमजोर नागरिकों के हेतु था वह EWS Quota पर लागू नहीं होता क्योंकि वह केवल एससी, एसटी, ओबीसी पर लागू होता है, इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत लिमिट Inflexible रूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुख्य अंश इस प्रकार है:–

**Reservation for economically weaker sections of citizens up to 10% in addition to the existing resevations does not result in violation of any essential feature of the Constitution and does not cause any damage to the basic structure of the Constitution of India on account of breach of the ceiling limit of 50%. This is because that ceiling limit itself is not inflexible and in any case applies only to the reservations envisioned by Articles 15(4), 15(5) and 16(4) of the Constitution of India, the Court observed in the EWS case. **

आरक्षण सामाजिक न्याय के लिये है। यह माना जाता है कि धर्म आधारित आरक्षण मान्य नहीं है। संविधान के प्रियम्बल में भारत के लोगों ने भारत के ही लोगों को वचन दिया कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा। इनमें सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई। उच्च वर्ग में लोगों ने दलितों के साथ बहुत अत्याचार किये हैं, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। हरिजन जब गांव में सफाई के लिये आता था तो उसे गले में बंधी हुई घंटी बजानी पड़ती थी, ताकि उच्च जाति के कहे जाने वाले लोग रास्ते से दूर हो जावे, कहीं हरिजन की छाया उन पर न पड़ जावे।

संविधान में समानता का अधिकार (Right of Equality) सबको दिया है। संविधान ने Equal Opportunity का अधिकार भी सबको दिया है। जैसा ऊपर कहा है। आरक्षण समानता के अधिकार का ही एक रूप है। आरक्षण संविधान की दैन है, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार संविधान की पालना सबको करना है। आरक्षण समानता के अधिकार की दैन है। संविधान ने उसे दिया है, संविधान ही उसे समाप्त कर सकता है। अभी अभी जो चुनाव देश में लोकसभा के लिये हुये उसमें सत्ता में जो पार्टी है उसके विरूद्ध I.N.D.I.A ग्रुप ने आरोप लगाये कि वह पार्टी आरक्षण व संविधान समाप्त करना चाहती है, उसका परिणाम हुआ कि 400 पार के स्थान पर बहुमत का आंकडा भी सत्ता पक्ष बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर सका। देश के संविधान के अनुसार कोई भी पार्टी संविधान भंग नहीं कर सकती और न आरक्षण ही समाप्त कर सकती है; क्योंकि जो भी कार्य होंगे वे सब संविधान के अनुसार ही होंगे। समता आन्दोलन समिति आरक्षण की समालोचक है। इसका मानना है कि आरक्षण दलितों व पिछड़ों के हित में है तथा सामाजिक समरसता के लिये भी आवश्यक है। इसके अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा हैं। कुछ दिनों पूर्व समिति का वार्षिक अधिवेशन था। अपने उद्बोधन में पाराशर शर्मा ने कहा कि वे सबके साथ समानता के व्यवहार के पक्ष में हैं। उनका मत है कि ओबीसी वर्ग में पिछड़ों व वंचितों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये। वे चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस के पांचों मापदण्ड उन पर भी लागू हों तथा क्रिमीलेयर की व्यवस्था को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी लागू हो। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ओबीसी का उपवर्गीकरण किया जाना भी आवश्यक है ताकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में वंचितो और दलितों तक आरक्षण व सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। लेखक ने श्री पाराशर नारायण शर्मा के नाम का उल्लेख इसलिये किया है कि वे समता आन्दोलन समिति से जुडे हुये हैं और उनके उपरोक्त विचारों से सहमत हैं।

इस लेख में लेखक ने पटना हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख इसलिये किया है कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों का उल्लेख है, जहां उन्होंने 50 प्रतिशत अधिक आरक्षण का अवैध करार दिया है और स्पष्ट किया है कि EWS का आरक्षण वर्तमान आरक्षण से भिन्न है जो SC/ST/OBC के आरक्षण पर लागू है और EWS कोटा इससे भिन्न है तथा इसे भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आलम्बन प्राप्त है। पटना हाईकोर्ट के निर्णय के विरूद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा चुकी है। प्रश्न है जब उपरोक्त रेफर किये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सैद्धान्तिक रूप से 50 प्रतिशत से अधिक की सीमा को अवैध करार दे चुके हैं तथा EWS के अतिरिक्त आरक्षण को भी Uphold सुप्रीम कोर्ट कर चुका है तो अपील में (एसएलपी) में क्यों केस को मेरिट पर पुन: सुना जावे? इन्द्रा साहनी व एस नागराज तथा जनहित अभियान का निर्णय इस विषय पर अन्तिम माने जाने चाहिये; क्योंकि ये सभी निर्णय संविधान पीठ के हैं। निर्णयों की Finality को भी अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित निर्णय के मूल अधिकार का भाग माना जावे लेखक की यह प्रार्थना है।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए या नहीं ?

प्रो. अशोक कुमार

आज, भारत में छात्रसंघ चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार होते हैं। इन नियमों का उद्देश्य चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वास्तव में उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए या नहीं, यह एक जटिल प्रश्न है, जिस पर वर्षों से बहस होती रही है। दोनों पक्षों के मजबूत तर्क हैं और अंतिम निर्णय व्यक्तिगत मूल्यों और विश्वासों पर निर्भर करता है।

छात्र संघ चुनावों के पक्ष में तर्क:–

छात्र प्रतिनिधित्व :– चुनाव छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ अपनी चिंताओं और मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। यह छात्रों को उनकी शिक्षा और परिसर के जीवन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में सशक्त बनाता है।

नेतृत्व विकास :– चुनाव प्रक्रिया छात्रों को नेतृत्व कौशल, सार्वजनिक बोलने और बहस करने की क्षमता, और टीम वर्क विकसित करने का अवसर प्रदान करती है।

ये कौशल भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, चाहे छात्र किसी भी करियर का चयन करें।

राजनीतिक जागरूकता :– चुनाव छात्रों को राजनीतिक प्रक्रिया और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं। यह उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और चुनावों में भाग लेने और अपने समुदायों में योगदान करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

विविधता और समावेश :– चुनाव विभिन्न पृष्ठभूमि और विचारधाराओं के छात्रों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह परिसर में अधिक समावेशी और स्वागत योग्य वातावरण बनाने में मदद कर सकता है।

छात्रसंघ चुनावों के खिलाफ तर्क:

राजनीतिकरण :– चुनाव परिसर में राजनीतिक दलों और गुटों के बीच विभाजन पैदा कर सकते हैं। इससे तनाव, संघर्ष और यहां तक कि हिंसा भी हो सकती है।

ध्यान भंग :– चुनाव प्रचार और गतिविधियों में छात्रों का बहुत अधिक समय लग सकता है, जिससे उनकी पढ़ाई और शैक्षिणक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

अनुचित प्रभाव :– कुछ का तर्क है कि चुनावों में अक्सर धन, शक्ति और प्रभाव वाले छात्रों या समूहों का अनुचित लाभ होता है।

प्रासंगिकता :– कुछ का मानना है कि छात्रसंघ अब उतने प्रासंगिक नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। आधुनिक विश्वविद्यालयों में छात्रों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई अन्य तरीके मौजूद हैं, जैसे कि छात्र समितियां और प्रशासन के साथ सीधा संवाद।

निष्कर्ष :– छात्रसंघ चुनावों का विषय जटिल है और इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क हैं। नई शिक्षा नीति में छात्रों की भागीदारी देखकर वास्तव में आश्चर्य होता है। विभिन्न समिति में छात्रों का जुड़ाव विश्वविद्यालयों का है लेकिन छात्रसंघ का कोई उल्लेख नहीं है। मैं चाहता हूं और आशा करता हूं कि जब योजना का विवरण आएगा, तो छात्रसंघ के गठन और कार्य के बारे में कुछ योजना होगी यह प्रत्येक विश्वविद्यालय और उसके छात्र समुदाय पर निर्भर करता है कि वे तय करें कि उनके लिए क्या सही है।

प्रो. अशोक कुमार
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय।

खेतड़ी के भोपालगढ़ ग्राम के मुख्य द्वार पर गेट लगाने से ग्रामीणों में आक्रोश

■ **ग्रामीणों की ओर से एसडीएम को ज्ञापन देकर लोहे का गेट हटाने की मांग की**

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी कस्बे की पहाड़ी स्थित भोपालगढ़ ग्राम के मुख्य द्वार पर लोहे का गेट लगा देने से लोगों में आक्रोश पनप रहा है। गुरूवार को कस्बे के ग्रामीणों की ओर से एसडीएम को ज्ञापन देकर लोहे का गेट हटाने की मांग की है। एसडीएम सविता शर्मा को ग्रामीणों की ओर से दिए ज्ञापन में बताया कि भोपालगढ़ ग्राम करीब तीन सौ साल पुराना है, जिसमें खेतड़ी के तत्कालीन राजपरिवार के दो महल बने हुए हैं।

भोपालगढ़ के परकोटा बना हुआ है तथा इसमें जाने के लिए चारों दिशाओं में चार दरवाजे लगाए गए थे। इन दरवाजों से क्षेत्र के ग्रामीण, राजपरिवार व राज के कर्मचारी सदा से आते जाते थे। भोपालगढ़ ग्राम में ऐतिहासिक शिव मंदिर, सती मंदिर भी बना हुआ है। खेतड़ी व आसपास के ग्रामीण इन्हीं दरवाजों से मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। अभी तीन–चार दिन पहले पुरातत्व विभाग द्वारा भोपालगढ़ के मुख्य द्वार पर लोहे का गेट लगा दिया गया।

ग्रामीणों ने गेट हटवाने की मांग को लेकर एसडीएम सविता शर्मा को ज्ञापन दिया।

गेट लगा देने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा पहाड़ी पर हादसा होने का खतरा भी बना हुआ है। विभाग द्वारा बिना इजाजत के भोपालगढ़ के बने सिंह की हवेली की मरम्मत भी करवाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों में काफी विरोध बना हुआ है। भोपालगढ़ में बने दोनों महल ठिकाने की संपत्ति है, जिसका विवाद भी सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। भोपालगढ़ ग्राम में शिव मंदिर, सती मंदिर के अलावा अमर कुंड, गोपीनाथ मंदिर, बालाजी मंदिर, जमाई माता मंदिर बने हुए हैं, जहां लोग जात जडूले के लिए आते हैं। लोगों ने बताया कि सावन के महीने में शिव मंदिर में काफी संख्या में लोग पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग द्वारा लगाए गए गेट से आमजन में काफी विरोध है। य

ादि प्रशासन ने मामले में जल्द ही कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीणों की ओर से आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम ने मामले की जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर श्याम सिंह, रघुवीर प्रसाद, गौरव स्वामी, वासूदेव तिवाड़ी, लालसिंह, रामवतार, पवन कुमार शर्मा, संदीप कुमार, गोपाल, सोहनलाल, महेंद्र कुमार, सुनील, मदनलाल, हिरालाल, राहुल, संजय नालपुरिया, रौनक, बहादुर मल, जितेंद्र, महावीर, रोहिताश, राजू, अशोक, उमेश सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे।

सुरजा देवी की पार्थिव देह सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में दान की

■ **वर्ष 2019 से लेकर आज तक 67 देह दान एस.पी. मेडिकल कॉलेज को प्राप्त हो चुकी है**

बीकानेर (निसं)। वर्तमान समय में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं के प्रायोगिक अध्ययन हेतु मानव मृत शरीर की आवश्यकता रहती है जिससे विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। देह दान को लेकर बीकानेर के नागरिक भी जागरूक है।

इस क्रम में गुरूवार को सुरजा देवी पत्नी मोतीलाल लेघा निवासी गजनेर रोड़ कोठारी अस्पताल के पास, का निधन हो जाने पर उनकी पूर्व इच्छानुसार उनके परिजनों ने सुरजा देवी का पार्थिव देह एस.पी. मेडिकल कॉलेज के शरीर रचना विभाग को सुपूर्द किया। इस दौरान प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी, एनाटॉमी विभाग के डॉ. जसकरण, डॉ. गरिमा तथा वरिष्ठ तकनिशियन मोहन व्यास ने पार्थिव देह को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

प्राचार्य सोनी ने सुरजा देवी के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि वर्तमान में देह दान महादान की श्रेणी में आता है, सुरजा देवी के इस निर्णय से अनेक मेडिकल स्टूडेण्ट्स लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी द्वारा सर्व समाज में देह दान हेतु जन–जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाया जा रहा है, इस अभियान से प्रभावित होकर आम जन देह दान का फॉर्म भर रहे हैं। वर्ष 2019 से लेकर आज तक कुल 67 देह दान एस.पी. मेडिकल कॉलेज बीकानेर को प्राप्त हो चुकी है जिसमें 46 पुरूष एवं 21 महिलाओं की पार्थिव देह शामिल है। अक्टूबर 2022 से डॉ. गुंजन सोनी के प्राचार्य एवं नियंत्रक पद पर पदभार ग्रहण करने से लेकर आज तक देहदान की इच्छा जताने के लिए कुल 117 लोगों ने मरणोपरान्त अपनी देह दान करने का फॉर्म भरा हुआ है जिसमें 95 फॉर्म पुरूषों के तथा 54 फॉर्म महिलाओं के शामिल है। हालांकि हमारे देश में मृत्यु के उपरांत देहदान बहुत कम किया जाता है लेकिन ये समय की जरूरत है। देश के कुछ शीर्ष नेताओं ने ऐसा करके एक मिसाल भी पेश की है।

प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी ने देहदानी सुरजादेवी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

पैंथर ने गाय के बछड़े को शिकार बनाया

मंडफिया, (निसं)। उपखंड क्षेत्र भदेसर के धीरजी का खेड़ा गांव में बीती रात को एक पैंथर ने गाय के बछड़े का शिकार कर लिया। सुबह जब मालिक अपने बाड़े में पहुंचा तो इस बात की जानकारी हुई। इसके बाद तुरंत इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। धीरजी खेड़ा गांव में बुधवार रात को एक पैंथर बाड़े में घुसकर एक गाय के बछड़े पर हमला कर दिया।

बाड़े के मालिक सुरेश सुथार ने बताया कि सुबह जब 6 बजे वह पशुओं का दूध निकालने बाड़े में गया तो मौके पर गाय का बछड़ा गायब मिला। गाय के बछड़े को जब आसपास ढूंढना शुरू किया तो कुछ ही दूर पर गाय का बछड़ा मृत पड़ा मिला। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। मौके पर टीम पहुंची और जांच करने पर गाय के बछड़े पर पैंथर का हमला होना बताया। पूर्व में भी भदेसर क्षेत्र के गांवों में कई बार पैंथर की हलचल देखी गई थी। पहले भी इन क्षेत्रों में पैंथर कई पशुओं को अपना शिकार बना चुके हैं। इस घटना से ग्रामवासियों में भारी भय व्याप्त है।

राशिफल शुक्रवार 19 जुलाई, 2024

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, शुकल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, शूल नक्षत्र रात्रि 2:55 तक, ऐन्द्रयन योग रात्रि 2:41 तक, कौलव करण प्रात: 8:13 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–कर्क, चन्द्रमा–धनु, मंगल–वृष, बुध–कर्क, गुरू–वृष, शुक्र–कर्क, शनि–कुम्भ, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

आज रवियोग रात्रि 11:00 तक है और रात्रि 2:55 से पुन: आरम्भ होगा। आज बुध मघा सिंह में रात्रि 8:46 पर प्रवेश करेगा। आज प्रदोष व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:29 तक, लाभ–अमृत 7:24 से 10:49 तक, शुभ 12:33 से 2:14 तक, चर 5:36 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:48, सूर्यास्त 7:17

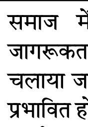

मेष
परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए बाहर जा सकते हैं। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
शुभ कार्यों में व्यवधान आ सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। मित्रों/रिश्तेदारों से वाद–विवाद हो सकता है।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

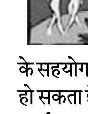

कर्क
स्वास्थ्य से संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

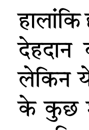

सिंह
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से व्यावसायिक अनुबंध बनेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या
घर–परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

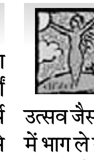

तुला
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

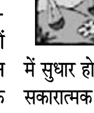

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

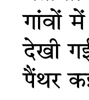

धनु
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

मकर
अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी।

कुंभ
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

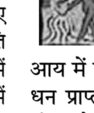

मीन
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।